



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkh@jharkhandmail.gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-22/2017- 253 दिनांक : 22.02.2018

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/ लोहरदगा वन प्रमण्डल,  
लोहरदगा/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ चाईबासा वन प्रमण्डल,  
चाईबासा/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल,  
गढ़वा/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए कुल **रु0 402.846 लाख (चार करोड़ दो लाख चौरासी हजार छः सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-36/2017 (खण्ड)-42/स्वी0 व0प0 दिनांक 20.02.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0 बजट-36/2017 (खण्ड)-88/आ0 व0प0 दिनांक 20.02.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 402.846 लाख (चार करोड़ दो लाख चौरासी हजार छः सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	185.510
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	217.336
कुल :-		402.846

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3** एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगा तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।



14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

18. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-22 / 2017- 253 दिनांक- 22.02.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / जमशेदपुर / पलामू / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / गुमला / जमशेदपुर / चाईबासा / गढ़वा / मेदिनीनगर / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-22 / 2017- 253 दिनांक- 22.02.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / लोहरदगा / जमशेदपुर / चाईबासा / सरायकेला-खरसावां / गढ़वा / मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 229.90 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	रैखिक वृक्षारोपण (कि०मी०)	वित्तीय वर्ष 2017-18 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			463774.97	543342.22	1007117.19
i	ii	iii	vi	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	10	46.377	54.334	100.711
2	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	5	23.189	27.167	50.356
3	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	5	23.189	27.167	50.356
4	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	5	23.189	27.167	50.356
5	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	5	23.189	27.167	50.356
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	5	23.189	27.167	50.356
7	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	5	23.188	27.167	50.355
सकल योग :-		40	185.510	217.336	402.846

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

**कंटीले तार घेरान के साथ (Multi Row with barbed wire fencing)  
नदी तट पर वृक्षारोपण की प्रति कि०मी० अनुसूचित कार्य दर**

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹ 229.90

स्पेसिंग { पंक्ति से पंक्ति की दूरी-3मी०/2मी०  
पौधे से पौधे की दूरी-3मी०/2मी०  
प्रति कि० मी० पौधों की संख्या-6000 पौधे

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) नदी तट पर वृक्षारोपण कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति दिवस ₹ 229.90							
1	झाड़ी सफाई		3.00	689.70	0.00	689.70	
2	घेरान कार्य						
क	RCC पीलर 700 सं० रु० 823 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7"x4"x4" का निर्माण एवं 1'x1'x2' का गड़्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	नदी तट के एक तरफ के लिए प्रति कि०मी०	1002.00	230359.80	345660.00	576019.80	
ख	कंटीला तार 4point 2ply 12wg 15cm apart 3.75 में० टन, 64.32 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से 1.875		0.00	0.00	120600.00	120600.00	
ग	कंटीला तार को खींचने, सीधा करने, स्टपल इत्यादि लगाने का कार्य सहित (SOR 2015-5.10.39, 7.36 रु० प्रति वर्ग मीटर दर 187.48 प्रति मानव दिवस कुल 2460 वर्ग मी०)		49.51	11382.35	0.00	11382.35	
घ	RCC पीलर एवं कंटीले तार की कार्य स्थल तक ढुलाई, (क+ख+ग का 15%)		184.78	42480.92	63719.42	106200.34	
3	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 45cm x 45cm x 45cm आकार का गड़्ढा बनाना @ 0.10 मानक दिवस प्रति गड़्ढा	5000 गड़्ढा	500.00	114950.00	0.00	114950.00	
4	माउन्ड निर्माण@ 0.25 प्रति मानव दिवस आधारित व्यास 1.2 मी०, शीर्ष व्यास 0.6मी० ऊँचाई 0.60 मी०	1000 अदत प्रति कि०मी० अधिकतम	250.00	57475.00	0.00	57475.00	वन संरक्षक के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार।
5	30% पौधों के लिए Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधशाला का अंश कार्य	6600 पौधा	28.00	6437.20	13362.80	19800.00	
<b>योग :-</b>			<b>2017.29</b>	<b>463774.97</b>	<b>543342.22</b>	<b>1007117.19</b>	
(B) नदी तट पर वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति दिवस ₹ 229.90							
1	अंश पौधशाला कार्य एवं 70% ट्यूब वाले पौधों का क्रय, परिवहन इत्यादि।	6600 पौधा	45.00	11880.00	35854.50	47734.50	
2	पौधा रोपण	प्रति कि०मी०	135.00	35640.00	0.00	35640.00	
3	दो कोड़नी निकौनी	प्रति कि०मी०	150.00	39600.00	0.00	39600.00	
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि०मी०	180.00	47520.00	0.00	47520.00	
5	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	0.00	9450.00	9450.00	
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	0.00	1500.00	1500.00	

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
7	पटवन, आवश्यकतानुसार	प्रति कि०मी०	180.00	47520.00	0.00	47520.00	
8	घेरान मरम्मति	प्रति कि०मी०	10.00	2640.00	1000.00	3640.00	
योग :-			700.00	184800.00	47804.50	232604.50	
<b>(C) वित्तीय वर्ष 2019-20 का सामग्री कार्य सुरक्षा के लिए मजदूरी पर प्रतिमानित दिवस रु० 302.00 प्रति कि०मी० वित्तीय वर्ष 2019-20 का घेरान मरम्मति पर</b>							
1	एक कोड़नी निकोनी	प्रति कि०मी०	84.00	25536.00	0.00	25536.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	0.00	4104.00	4104.00	
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि०मी०	240.00	72960.00	0.00	72960.00	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (लगभग 10 प्रतिशत मृत पौधों का प्रतिस्थापन)	600 पौधा	12.00	3648.00	12000.00	15648.00	
5	पटवन, आवश्यकतानुसार	प्रति कि०मी०	270.00	82080.00	0.00	82080.00	
योग :-			606.00	184224.00	16104.00	200328.00	
<b>(D) वित्तीय वर्ष 2019-20 का सामग्री कार्य सुरक्षा के लिए मजदूरी पर प्रतिमानित दिवस रु० 302.00 प्रति कि०मी० वित्तीय वर्ष 2019-20 का घेरान मरम्मति पर</b>							
1	एक कोड़नी निकोनी	प्रति कि०मी०	84.00	29400.00	0.00	29400.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	0.00	4104.00	4104.00	
3	घेरान मरम्मति	प्रति कि०मी०	5.00	1750.00	1000.00	2750.00	
4	सुरक्षा पर व्यय	प्रति कि०मी०	120.00	42000.00	0.00	42000.00	
योग :-			209.00	73150.00	5104.00	78254.00	
<b>(E) वित्तीय वर्ष 2019-20 का सामग्री कार्य सुरक्षा के लिए मजदूरी पर प्रतिमानित दिवस रु० 302.00 प्रति कि०मी० वित्तीय वर्ष 2019-20 का घेरान मरम्मति पर</b>							
1	एक कोड़नी निकोनी	प्रति कि०मी०	84.00	33768.00	0.00	33768.00	
2	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	0.00	4104.00	4104.00	
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि०मी०	120.00	48240.00	0.00	48240.00	
4	घेरान को हटाना, सुरक्षित स्थान पर परिवहन एवं भेजना (वित्तीय वर्ष के अन्त में)	प्रति कि०मी०	82.50	33165.00	2500.00	35665.00	
योग :-			286.50	115173.00	6604.00	121777.00	
सकल योग :-			3818.79	1021121.97	618958.72	1640080.69	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल विवरणी

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	नदी का नाम	नदी की लम्बाई (कि०मी०)
i	ii	iii	iv	v
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	राँची पूर्वी वन क्षेत्र, महिलौंग	स्वर्णरेखा नदी	5
		राँची वनरोपण प्रक्षेत्र, बेड़ो	स्वर्णरेखा नदी	5
योग :-				10
2	लोहरदगा वन प्रमण्डल	लोहरदगा	शंख नदी	5
योग :-				5
3	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	चाकुलिया प्रादेशिक	नलधुआ चन्दनपुर से श्यामसुन्दरपुर स्वर्णरेखा नदी तट किनारे	5
योग :-				5
4	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	चाईबासा	रोरो नदी डेम से बड़ीबाजार पुल के नीचे तक	5
योग :-				5
5	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	सरायकेला प्रादेशिक	दोमुहानी से एन०आई०टी० मोड़	5
योग :-				5
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	गढ़वा	दानरो नदी के तट पर (कल्याणपुर पुल से कोरवाडीह पुल तक भाया धर्मडीहा)	5
योग :-				5
7	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	कुन्दरी	उत्तरी कोयल नदी (सिंगरा कला से बी०एन० कॉलेज तक)	5
योग :-				5
सकल योग :-				40

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
SC झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/253

दिनांक - 22-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	98608	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	4,637,700.00 रुपये छयालीस लाख सैतीस हजार सात सौ
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)				
Central Scheme : NA				
2	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	98609	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV FOREST OFFICER	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)				
Central Scheme : NA				
3	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	98610	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	2,318,900.00 रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)				
Central Scheme : NA				

योग: 9,275,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये बयानये लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ

*Sachawan 2/2*  
(SHRI SATNAM SINGH  
ADDL. P.S. DIVISION RA RANCHI



क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि	
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	98611	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ	2,318,900.00
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				
5	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	98612	SKLFOR001 A EKKA D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ	2,318,900.00
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				
6	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	98614	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	रुपये तेइस लाख अठारह हजार नौ सौ	2,318,900.00
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				

योग:

6,956,700.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड बासठ लाख बत्तीस हजार दो सौ

16,232,200.00

*(Signature)*  
(SHRI SATNAM SINGH  
ADDL. P.S.D. DIVAN, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	98615	PLMFOR070  NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	2,318,800.00  रुपये तेइस लाख अठारह हजार आठ सौ
8	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	98622	DRNFWL013  RAJIV LOCHAN BAKSHI  DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	5,433,400.00  रुपये चौपन लाख तैतीस हजार चार सौ
9	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	98624	LDGFOR001  VIKASH KUMAR UJJWAL  DIV.FOREST OFFICER	2,716,700.00  रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
योग:				10,468,900.00
क्रमिक योग:			रुपये दो करोड सड़सठ लाख एक हजार एक सौ	26,701,100.00

  
(SHRI SATNAM SINGH)  
ADDI. POSITIVE HAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	98627	JSRFOR051  SHABA ALAM ANSARI  D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	2,716,700.00  रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	98630	SGHFOR010  KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	2,716,700.00  रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	98633	SKLFOR001  A EKKA  D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	2,716,700.00  रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग:

8,150,100.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड अडतालीस लाख इकावन हजार दो सौ

34,851,200.00

  
(SHRI SATNAM SINGH)  
ADDL. DEPT. SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	98635	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	98638	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. GREST.DIV.	2,716,700.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग: 5,433,400.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड दो लाख चौरासी हजार छः सौ 40,284,600.00

  
(SHRI SATNAM SINGH)  
ADDL. POST OFFICE MANAGER